13/8/12

वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थी द्वारा भूमि रूपान्तरण आदेश की प्रति पेश की जो रिकार्ड पर उपलब्ध है, विवादित आराजी का भूमि रूपान्तरण हो चुका है। इसलिए विवादित आराजी पर अब 177 RTA के तहत कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। वकील प्रार्थी ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया। अतः लोक अदालत की भावना से प्रकरण की कार्यवाही इसी आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य
बैन्च संख्या 4
तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत
धौलपुर

अध्यक्ष
बैंच संख्या 4
तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत
धौलपुर